डा० अबरार अहमद खान (राजस्थान): सदन के नेता से मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि वह भी पंजाब पर अपने स्पीकर वापस ले लें क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई नहीं बोल रहा है । इसे पास करा दें और उसके बाद गोंडा चालू करें । **(व्यवधान)**

उपसभापति : अभी इन्हें बोलने दीजिए ।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): On a point of order, *(Interruptions)* This only expires on 9th November, 1990. What is the urgency for the Government? *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. That is not a point of order. Please sit down. *(Interruptions)* I cannot permit you. *(Interruptions)* Please sit down. There is no point of order arising out of it. *(Interruptions)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : महोदया, माननीय सदस्य बेकार परेशान हो रहे हैं । इसके पहले कुछ नहीं होने जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है । कोई राजनीतिक अस्थिरता नहीं आने जा रही है । यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार पांच साल चलेगी और आपकी हिस्सेदारी इसमें रहेगी ।

STATUTORY RESOLUTION RE: CONTINUANCE IN FORCE OF PRESIDENT'S PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 IN RELATION TO PUNJAB.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री (सुबोध कान्त सहाय) : महोदया, मैं इस प्रस्ताव को आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं कि :

"यह सदन संविधान की धारा 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा निर्मित दिनांक 11 मई 1987 की अधिघोषणा जिसके माध्यम से पंजाब में लागू राष्ट्रपति शासन की अवधि को 15 नवम्बर 1990 से अगले 6 मास तक विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान करता है ।"

यह प्रस्ताव रखने के साथ-साथ इस प्रस्ताव को सदन से अनुमोदित करने का अनुरोध भी करता हूं ।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Madam, I beg to move:

That at the end of the said Resolution, the following be added, namely:—

"That this House further resolves that the general elections to the Punjab Assembly be held not later than the 1st January, 1991."

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shabbir Ahmad Salaria—not present.

The questions were proposed.

(Interruptions)

श्री बलराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : बीच आफ प्रिविलेज का नोटिस मैंने आपको सवेरे दिया था तो मैं जानना चाहता हूं कि उस पर क्या हुआ ?

उपसभापति : आपने ब्रीच आफ प्रिविलेज का जो नोटिस दिया था वह चेयरमैन साहब के सामने है । जैसा भी निर्णय उस पर वह लेंगे उसकी आपको सूचना दे दी जायेगी । हाउस अगर खत्म हो जाता है तो प्रिविलेजेज खत्म नहीं होते । प्रिविलेज कमेटी हाउस खत्म होने के बाद भी मिलती रहती है । इसलिए प्रिविलेज का जो नोटिस आपका आया है वह चेयरमैन साहब के सामने है । उन्होंने मुझे भी देखने को कहा है ।

श्री बलराम सिंह यादव : मामले की गम्भीरता को समझ लें । आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय

पिछला सैशन चल रहा था उस समय इटावा जनपद के अंदर खासतौर से मुख्य मंत्री के क्षेत्र में जो हरिजन एट्रोसिटीज हुई... (**व्यवधान**)

उपसभापति : अभी तो पंजाब के ऊपर डिसकशन कर रहे हैं । जैसे ही चेयरमैन साहब कोई निर्णय लेंगे आपको उस बारे में सूचना दे देंगे । अगर आज ही निर्णय दे दिया तो आज ही बता देंगे । अगर आज नहीं तो बाद में इत्तला मिल जायेगी । अभी पंजाब पर बात हो जाने दीजिए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jacob, you are too senior and experienced a person to be pleading such ignorance. You know very well what the privilege motion is. Secondly, no discussion ever takes place on any privilege motion which is presented to the Chairman for his consideration. After Punjab I will allow. Let me finish this discussion on Punjab.

SHRI M. M. JACOB (Kerala): We want to know what exactly it is.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sunil Basu Ray. Are you withdrawing your name? Name withdrawn. Shri Cahturanan Mishra—name withdrawn. Prof. Sourendra Bhattacharjee, if you want to speak, please go to your seat. Name withdrawn. Kumari Chandrika Premji Kenia, do you want to speak?

KUMARI CHANDRIKA PREMJI KENIA (Maharashtra): Madam, I would like to speak.

मैं सबसे पहले अपना विरोध या असंतोष जाहिर करना चाहूंगी । कल मुझे बोलने का वक्त दिया गया था । शिव सेना की हैसियत से मैं अकेली सदस्य सदन में हूं... (**व्यवधान**)

उपसभापति : आप अकेली ही काफी हैं ।

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : एक महिला होने के नाते जो हमारे साथ बार बार अन्याय होता है और लास्ट मोमेंट पर नाम लिया जाता है वह बहुत तकलीफदेह है । हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, लोगों की तकरीरें सुनते हैं और जब हमारा बोलने का मौका आता तो कहा जाता है कि आप बैठ जाइये । 5–10 मिनट ही बोल पाते हैं । मैं बताना चाहती हूं कि शिव सेना के जो सही मायने में व्यूज हैं उनको मैं सदन में रखने की कोशिश करती हूं । आप भी एक महिला हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि ऐसे मौके आते हैं जब पूरे सदन को हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए । आप इस चेयर की शोभा बढ़ाती हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप महिलाओं को प्रोटेक्शन दें । छः महीने पहले जब मैंने शपथ ली थी, राज्य सभा की नई सदस्या के रूप में मैं यहां आई थी तो दूसरे दिन पंजाब के बिल पर मैंने अपनी तकरीर की थी, वह मेरी मेडन स्पीच थी ।

उपसभापति : तो आपका यह आरोप कि आपको बोलने नहीं दिया जाता, खुद ही प्रूव हो गया कि गलत था ।

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : Madam I am sure that you have noted down my point in the right spirit.

मैं यह कह रही थी कि उस वक्त यह बताया गया कि सरकार की ओर से पंजाब के ऊपर संविधान में संशोधन का विधेयक लाया जाएगा । यह कहा गया कि सिर्फ छ. महीने के लिए राष्ट्रपति का शासन बढ़ाने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है । तभी यह कहा गया था कि इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी, पुरजोर तैयारी की जाएगी और ऐसा माहौल बनाया जाएगा ताकि वहां पर चुनाव हो सकें । पिछले तीन सालों से वहां पर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं । ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं

[कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया]

हो पा रही है कि चुनाव कराये जा सकें उस वक्त यह भी कहा गया था कि सरकार इस प्रकार के कदम उठायेगी जिससे पंजाब में अच्छा माहौल बने। छः महीने के बाद फिर से यह बिल यहां पर लाया गया है। मैं इस प्रस्ताव पर बोल रही हूं। कल जो बिल लाया गया था उसमें सर्वानुमति दिखाई गई थी। छः महीने बाद सरकार वही बात कह रही है। ऐसा वातावरण बना नहीं है, ऐसी परिस्थितियां बनी नहीं हैं कि वहां पर चुनाव कराये जा सकें। मैं इस मौके पर यह कहना चाहती हूं कि अभी भी पंजाब में बहुत सारे निर्दोष, निरपराध लोगों की, नवजवानों और मासूस बच्चों की और महिलाओं तथा पुरुषों की निर्मम हत्यायें दिन दहाड़े रोज-ब-रोज हो रही हैं। संख्या के बारे में विवाद हो सकता है। कोई कहता है कि दो हजार निर्मम हत्यायें हुई हैं और कोई कहता है कि 17 सौ हुई हैं। सवाल संख्या का नहीं है। एक-एक नवजवान, एक-एक महिला और एक-एक बच्चा हमारे लिए उतना ही महत्व रखता है जितना दूसरे इंसान रखते हैं।

स्वतंत्रता संग्राम में, आजादी की 3.00 P.M. लड़ाई में शहीद भगतसिंह ने भी कुर्बानी दी थी और आज भी हम उनको याद करते हैं। देश की आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। लेकिन ये दो हजार लोग जो पिछले एक साल में पंजाब में मरे हैं जिनकी वहां पर निर्मम हत्या हुई है, मैं समझती हूं कि उन्होंने भी देश की एकता और अखंडता के लिये कुर्बानी की है। उनके लिये मैं श्रद्धांजलि के रूप में यह कहना चाहूंगी कि:

> शहीद तेरे मौत की तेरे वतन की जिंदगी,
> तेरे लहू से जा लगेगी इस जमीं की जिंदगी,
> खिलेंगे फूल उस जगह से तू जहां शहीद हो।
> पुकारती है ये जमीं ये आसमां शहीद हो।

हमने शिव सेना की ओर से यह मांग की थी कि जहां तक पंजाब का सवाल है, जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है सरकार इस मामले पर शाफ्ट पैडलिंग न करे। हम चाहते थे कि सरकार बहुत ही सख्त कार्यवाही करे, बहुत सख्त कदम उठाये। यह मांग मैं फिर दोहराना चाहूंगी जो मांग मैंने 6 महीने पहले की थी। मैं फिर से यह मांग करना चाहूंगी कि जो टैरोरिष्ट हैं, जो आतंकवादी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं पाकिस्तान के ऊपर यह तोहमत लगाना चाहूंगी कि कश्मीर में, पंजाब में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, वहां पर आतंकवाद जो इतना बढ़ता जा रहा है उसमें पाकिस्तान का हाथ साफ-साफ दिखाई दे रहा है। सरकार को चाहिये, जनता को चाहिये कि वह उसको मुंह तोड़ जवाब दे। इतना ही नहीं पाकिस्तान पंजाब में ऐसे लोगों की फाइनेंसियल हैल्प, आर्थिक सहायता करता है, आर्म्स देता है, वेपन्स देता है और वहां पर ट्रेनिंग कैम्प चलाता है ताकि पंजाब के जो गुमराह छोटे-छोटे बच्चे हैं, नौजवान हैं उनको वहां पर ट्रेनिंग दी जा सके और वे आतंकवाद में आगे बढ़ सकें। मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा, सहाय साहब से अनुरोध रहेगा कि पाकिस्तान के साथ ठीक तरह का रुख अपनाया जाय ताकि पंजाब और कश्मीर में उसने हमारे लिये जो पेचीदगियां पैदा कर दी हैं उनका हम मुकाबला कर सकें। जनता दल की सरकार ने सरकार बनाने के बाद कहा कि हम पोलिटिकल प्रोसेस पंजाब में शुरू करना चाहते हैं। यह बहुत ही अच्छा रवैया सरकार ने अपनाया था कि हम लोगों की हमदर्दी प्राप्त करके, लोगों के जो इमोशंस हैं, जो सेंटीमेंट्स है, उनके जो जजबात हैं, उन जजबातों पर जो घाव और जख्म लगे हुए हैं उन पर हम मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। उनको सही रास्ते पर लाना है जो उनके इमोशन जो हर्ट हुए हैं हमें उन इमोशंस को ठीक करना होगा। वी० पी० सिंह साहब ने अमृतसर में बहुत बड़ी पद यात्रा निकाली थी, लोगों से मुलाकातें की थीं और उन्होंने लोगों से सीधे ताल्लुकात बनाये थे। इसकी जनता दल की सरकार ने एक

बहुत शुभ-शुरूआत की थी । लेकिन बाद में वे कहीं रास्ता खो गये । आज जहां तक पंजाब का सवाल है, पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि पंजाब के बारे में क्या करना है इस बारे में सरकार कोई राय नहीं बना पाई है । उपसभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगी कि वहां के जो गुमराह नौजवान हैं, हमें उनको राष्ट्रीय प्रवाह में जोड़ना चाहिये । इसके लिये कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है । सबसे पहले तो मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हैं वह इलेक्शन के माध्यम से ही हो सकता है । इसलिये सरकार वहां पर जल्द से जल्द चुनाव कराये ताकि हम पंजाब के लोगों को बता सकें कि हमें उन पर पूरा विश्वास है । आप चुनाव लड़िये और आप अपनी सरकार बनायें और अपनी सरकार के माध्यम से जो पंजाब का मसला है वह हल करिये ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि एकानामिक डेवलपमेंट पंजाब का हो नहीं रहा है । एक जमाने में वहां ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था । कहते थे कि पंजाब में ग्रीन रेवेल्यूशन हुआ है । जब हम हरित क्रांति की बात करते थे तो हम पंजाब की मिसाल देते थे । लेकिन आज वहां क्या परिस्थितियां है पंजाब की हालत दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है । इसलिये वहां के एकानामिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाय और वहां के नौजवानों को सेल्फ इम्पालाइमेंट स्कीम दें ताकि वे अपने पांवों पर खड़े होने की क्षमता हासिल कर सकें । उनको शैक्षणिक सुविधायें दी जायं और इसके लिये वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्कूल और कालेज खोले जायं ताकि जो गुमराह बच्चे हैं वे शिक्षा के माध्यम से सही रास्ते पर आ सकें ।

आपने टी. वी. और रेडियो को स्वायत्तता दी है । अभी अभी यह कानून हमने यहां पर पास किया है । तो यह जो स्वायत्तता टी. वी. और रेडियो की है, इसका हम पुरजोर फायदा उठा सकते हैं । इनके माध्यम से हम लोगों को ठीक तरह से शिक्षा दे सकते हैं । इस मसले में बहुत सारी मिसअंडरस्टेंडिग्स हैं । उनको हम आपसी तालमेल, भाई-चारे और मैत्री के वातावरण से दूर कर सकते हैं । टी. वी. और रेडियो के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों को वहां के लोगों को दिया जाना चाहिये ताकि पंजाब में सब जगहों पर भाईचारे और मैत्री का वातावरण बन सके ।

आखिरकार मैं यह कहना चाहूंगी कि लोगों को अख्तियार दीजिये कि वे खुद अपनी सरकार बना सकें । आप वहां पर चुनाव जल्दी से जल्दी करवा दें । एक-दो यहां पर अमेंडमेंट आये हुए हैं' सुब्रह्मण्यम साहब और सलारिया साहब का । उन्होंने....

उपसभापति : सलारिया जी का मूव नहीं हुआ है ।

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): Madam, can I move my amendment now?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, it is too late. You cannot just get up any time and move your amendment.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Kindly forgive me.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no question of forgiving. It is a question of rules and regulations. (*Interruptions*) Now, let her finish her speech. (*Interruptions*)

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : उन्होंने फिक्सड डेट दी हुई है । मैं भी यह सुझाव सरकार को करूंगी कि आप जब यह रेजोल्यूशन लाये हैं, तो एक डेडलाईन आप बना दीजिए कि दो-तीन महीने में आप यह चुनाव लेने की तैयारियां करेंगे, क्योंकि जब हम विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब की बात करते हैं, तो वह लोकनायक और जन-नायक के रूप में जनता के सामने आये हैं, अवाम की आशा और आकांक्षा क्या है, उनको पहचान है और वह सही मानों में कह सकते हैं कि—

[कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया]

मेरा तो जो भी कदम है,
वह तेरी राहों में है,
तू कहीं भी रहे,
तू मेरी निगाहों में है।

आपका मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझको पांच मिनट बोलने का मौका दिया।

उपसभापति : आप जहां भी बैठें मेरी निगाहों में जरूर हैं। पीछे बैठें, तो भी फर्क नहीं पड़ता।

सलारिया जी, आपको मैं एक बात अर्ज करूं कि जो भी हाउस चलता है, कुछ नियमों से चलता है।

जब मैंने नाम पुकारा सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने अपना अमेंडमेंट मूव किया। आप उस समय हाउस में नहीं थे। वह वक्त गुजर गया। आप बोलना चाहें तो जरूर बोल सकते हैं मगर आपका अमेंडमेंट मूव करने का समय तो निकल गया। सुब्रह्मण्यम स्वामी जी आप बोलिये।

श्री शब्बीर अहमद सलारिया : मैडम इस हाउस में यह परम्परा रही है कि कई दफा कोई मेम्बर थोड़ी देर लेट होता है तो आप इजाजत दे देती हैं।

उपसभापति : ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है।

श्री शब्बीर अहमद सलारिया : दो दफा ऐसा हुआ है आपको याद होगा।

उपसभापति : सलारिया जी मैं दस साल से इस हाउस की मेम्बर हूं। मेरी जानकारी में ऐसी कोई परम्परा नहीं है।

इसलिए आप कृपया बठ जाइये। मैं आपको बोलने की इजाजत दे दूंगी।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Madam, am I to speak on the amendment? Since so many speakers have withdrawn, there is lot of time.

THE DEUPTY CHAIRMAN: There is not enough time. Yon have only half or quarter of a minute.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Can I also speak on the Kuldip Singh Commission's report?

THE DEPUTY CHAIRMAN: You can speak only on your amendment and on the Statutory Resolution, if you want to say anything on it.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Can I speak on the Kuldip Singh Commission's report also? (*Interruptions*) He is also from Punjab.

AN HON. MEMBER: What about Bofors?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Bofors also.

Madam Deputy Chairman, the concept of India is that it cannot be dismembered by anybody. Therefore, the country is ready to pay any price to prevent it from being dismembered, whether it is in relation to Punjab or Kashmir or Assam or Tamil Nadu or anywhere else. I do not think anybody in this House has any sympathy for the forces which want to undo the unity and integrity of India.

My amendment is more in terms of what will contribute to the solution of the Punjab problem. Already, the number of deaths that have taken place since the National Front Government came to power has vastly increased, whereas, during the period October-November, 1990... (*Interruptions*). The number of deaths due to terrorists' attack has vastly increased. Now, this announcement has gone out. I have heard from my friends from Punjab that there is great pessimism and depression that once again they are not going to be allowed to elect

their leaders and that the repression of the police would continue in a non-representative Government.

The Prime Minister said recently, while flying in an aeroplane, 35,000 feet above the ground, 'One thing I will regret all my life is, not holding elections within six months of the National Front Government coming to power.' Now subsequently he said, "we will like to hold elections but because the situation is not conducive, we will bring an amendment and we will also announce this date simultaneously". When the Prime Minister cannot keep his word on such an important matter, it brings shame not only to the Government but the whole country.

[**The Vice-Chairman (Shri M. A. Boy)** in the Chair]

What will people think-that such a Prime Minister is sitting who cannot keep his word? They will, in fact, wonder what kind of people they are having who put such a person in office. After having solemnly declared not once but three times that the date of the election will be given simultaneously with the moving of the amendment, still it is not done. I am trying to help the Government now to cure this Government of its amnesia and I have brought in an amendment suggesting the date of 1st January, 1991. I hope that the Janata Dal Members at least will wake up and know what is happening around and support my amendment so that normal political processes can be initiated in Punjab. Thank you.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA (Punjab): Mr. Vice-Chairman I rise to oppose the Statutory Resolution to approve the continuation of President's rule in Punjab for another six months. I object strongly to the continuance of this rule because the medicine being administered is worsening the condition of the patient. After 3½ years of damaging the very fabric of the State of Punjab, you still want to continue with the lethal dose. You want to continue with the dose till the patient is dead. The greater danger is that the patient is likely to run berserk and cause damage to the very national fabric of the country. I, therefore, must oppose this self-destructive malaise of unlimited President's rule in Punjab.

The next point to think about is the validity of the Seventy-sixth Amendment we passed yesterday. According to hon. Member, Shri Bhatia, under article 172 of the Constitution, the section itself is unconstitutional. Has the Home Ministery checked up the point raised by Shri Bhatia and properly looked into it to ensure that it does not arise tomorrow?

My next point is, when the last Government committed the horrendous blunder of attacking the Golden Temple complex in June 1984 and later on caused the havoc of large scale murder and mayhem of thousands of people in November, 1984, to defuse the anti-national and communal sentiments of the Sikhs, I used to to explain to them that the Government can be changed but the country is for ever. The Government's nefarious and condemnable actions should not be construed as communal action. My aim was and is to ensure national integrity and communal harmony in this country. Fortunately after five long years, the Government did change and a new Government came into being promising change. But after six months I wonder what has happened to those promises. Now nine months have passed, the President's rule continues, half-hearted efforts have been made to punish the guilty of November 1984 for their wrong-doings. Nothing substantial has come about so far and it is unlikely that the guilty will be punished even

[Sardar Jagjit Singh Aurora]

now. The cases recommended by the Poti-Rosha Committee were handed over to the Delhi Police. With the police, which was hand in glove with the Congress mafia, how can you expect that poor, suffering widows reposing faith in the Delhi Police? And the result is that they are not cooperating. The request by the Citizens Justice Committee to use police officers from outside the Delhi Police for the investigation of these cases seems to have been ignored. You have already seen the results in the manner of the arrest of a prominent Delhi Congress leader, who was thickly involved in these cases, and how his arrest was stopped. The Delhi Police displayed total helplessness even in ensuring the safety of the CBI team. What solace can be drawn from this?

In Punjab, the old police structure, which is accepted as corrupt and excessively oppressive, still continues. I would like to warn the Government that if it will continue to place trust and faith in political parties which have little stake in the State and those who are against change and do not consider that greater autonomy should be given to the States to create a real federal structure, you will never have the courage to start democratic processes in Punjab. Additionally, the present bureaucracy in Punjab is quite happy about the present arrangement. They are ruling the State as a colony. The people may feel suffocated, but the bureaucracy has all the freedom. Unless you tell them in no uncertain manner that they have to involve the common man in the Administration and prepare the ground for elections within the next few months, the present situation will continue.

Fully realizing that whatever I may say the extension of six months is a foregone conclusion, I would suggest the following:

Please draw up a time-bound programme for the next three months and state what steps you are going to take to ensure that elections are held within the first fortnight of January 1991. Tell the people what will be the shape of the autonomous State that you are going to grant and what will happen about the previous promises which have already been made but never executed. The various schemes for providin jobs to the unemployed youth should not remain on paper but not into practice expeditiously. Greater vigilance on the border to stop gun running, narcotic traffic and smuggling must be there to stop the traffic from across the border. Reorganization of the present police structure should be carried out within a month. Activation of the panchayats and zila parishads which exist and giving them additional authority should also be put into practice as early as possible, and the civil administration made more effective, public-oriented and having a certain amount of control over the police... (*Time-bell rings*)... Lastly, Pakistan and the hardliners are against elections. In spite of the best efforts, violence will increase. It must be dealt with firmly but with fairness. No blanket repression should be resorted to.

Before I end, I have a point of personal explanation. Some of my friends, at times, have mentioned that when I get up to speak on Punjab, I don't condemn the violence and the terrorists. I have been condemning violence publicly, I should say, in Amritsar itself, and over the All-India Radio since 1983.

While we are discussing means and methods of improving the situation in Punjab and bringing it back into the mainstream, I do not feel that I have to prove my loyalty to national integrity and struggle for communal harmony by condemning violence every time, in season and out of season.

Thank you very much.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Mr. Vice-Chairman, I thank you very much for having afforded me an opportunity to make submissoins on this vital issue.

Punjab is a necessary part of India and will continue to be a part of India. The question that we we are debating today is the extension of the period of President's rule in Punjab for another six months. What I say is that the reasons which have created the present situation in Punjab should be examined, should be examined objectively and a solution be found. So long as we do not address ourselves to those reasons, conditions cannot be created in Punjab which will enable us to hold elections or to effect any further progress in the democratic process which we want to initiate in Punjab.

The problems of Punjab are primarily political, economic as well as the problems pertain to the demand of the people of Punjab for certain powers for the State of Punjab. So far as the question of the State of Punjab is concerned, the economic problem of the people of Punjab has been elaborately stated during the discussion on the Amendment. My submission would be that those problems should be removed which are causing hardship to the people of Punjab.

Economically and politically speaking, the people of Punjab want that in the federal structure of India they should get more powers for the State. There is nothing harmful, there is no harm in any federating unit in a federal country, asking for more powers. The Sarkaria Commission which went into this matter in detail, has also given certain opinions and made certain recommendations which are now lying in cold storage. Nobody is looking at them. That is not the problem of Punjab alone. That is a problem which is to be found with regard to other States also in India. If today Punjab is asking for more powers in the State sphere and for amendment of the three Lists which are contained in the Constitution with regard to the distribution of the powers between the States and the Centre, other States in India are also claiming the same. Therefore, we should address to that problem also. The terrorism which has come into being in Punjab, I would submit, is the result of frustration which is the result of lack of faith or loss of faith which the people have in the present system in ameliorating their lot and in redressing their grievances, whether political or economic. That faith can be restored by us by addressing to those problems, by removing those grievances which are there with the people of Punjab and which are genuine grievances. So long as we do not address to them, we will, then, be only talking of matters which are on the fringe, and we shall not be addressing ourselves to the core of the matter. The people of Punjab who have been very brave defenders of the country and who have, during the struggle for independence of India, laid down their lives and contributed a lot towards the attainment of independence, have not gone mad for no reason. In Punjab if there is a demand by the people, which is being expressed in a violent form, it can be changed provided we address to those grievances.

Furthermore, I will submit that with regard to Punjab you have to see that elections are held in Punjab. It is said here that elections should not be held because presently the forces of militants are so great that elections, if held, would not be fair. I may remind you that elections were held in Punjab.

Those were held with regard to elections to the Parliament. Those elections were by far fair elections and those elections did return parties other than those which you say are associated with the militants. Once you hold elections, a political party or certain people come to power and they form a Government. If that Government does not act properly, then within the framework of the Con-

[Shri Shabbir Ahmad Salaria]

stitution of India, we can set that Government right. We can again impose President's Rule if we find that the Constitutional machinery was not properly working. It was said here by Mr. Kapil Verma that if the elections are held, a particular set of people will come to power, who will pass the Resolution saying that they want Khalistan. This is incorrect. Nobody will pass such a resolution. But even if some people will come to power, they will come to power after taking the oath of the Indian Constitution. They cannot be the candidates for an election unless they take the oath of the Indian Constitution. Once they have taken that oath, such fears can be very easily allayed. Therefore, with all these lame excuses and pretexts we should not deny to the people of Punjab the right to hold elections and to bring into being a legislative Assembly in Punjab.

Moreover, you may kindly note that by postponing the elections in Punjab you are, in a fact, playing into the hands of those people who do not want that elections should ever be held in Punjab. They will feel that they have been successful; they have been able to create so much chaos in Punjab that the Government has been obliged three times to amend the Constitution and postpone the elections. It is their victory as against the forces of democracy, which must be victorious. Then there is no guarantee that after four or five six-month extensions, which we have given in full, the conditions will be better. We may be confronted with worse conditions. Hon. speakers here have pointed out that the conditions have worsened by giving more and more dose of President's rule. There is no guarantee that the conditions will become better merely because it is extended by another six months. Therefore I will submit, we have got to take this bitter pill and elections are to be held in Punjab. They should have been held immediately now. But since the House has decided to amend the Constitution and the Resolution has come, I oppose this Resolution tooth and nail. I say elections should have been held in Punjab and such a resolution should not have been brought and the Constitution should not have been amended.

On the one hand you don't allow elections to take place, on the other in Kashmir you dissolve the elected Assembly. This is how the country is being run. Whatever political process was in Kashmir you throttled that in the middle and then say Kashmir is burning. Or in Punjab you don't allow the democratic process to come forward and establish a democratic Government and have a legislative Assembly on various pretexts which have been put forth here. Thereby you are alienating the people of Punjab and consigning them to the law of the terrorists and the law of the Governor's rules, which in effect means a bureaucratic rule, a rule which is not a substitute to the requirements and needs of the people. This is a negation of the very structure of the Indian Constitution, the very ethos of the Indian polity. With these submissions, I submit that this Resolution should not be accepted and that it should be rejected lock, stock and barel.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Mrs. Sushma Swaraj, do you want to speak?

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : मुश्किल से तो आप समय देते हैं और पूछते हैं कि बोलेंगी । उपसभाध्यक्ष महोदय संविधान की धारा 356 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृह मंत्री जी ने यह संकल्प उपस्थित किया है जिसके माध्यम से पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मियाद 6 महीने के लिये बढ़ाई जा रही है । कल इसी उद्देश्य के लिये एक संविधान संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया था जिसमें श्री कृष्ण लाल शर्मा जी ने मेरी पार्टी का दृष्टिकोण सदन के सामने रखा । आज समय बहुत कम है कुल चर्चा के लिए आपने एक

घंटा तय किया है इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी केवल कुछ बुनियादी बातें आपके माध्यम से सदन में रखना चाहूंगी ।

पहली बुनियादी बात तो यह है कि मेरी पार्टी इस संकल्प का समर्थन कर रही है इसके मायने यह बिल्कुल नहीं है कि हम पंजाब में जनतांत्रिक प्रक्रिया प्रारम्भ करने के विरुद्ध हैं । मैं बता दूं आपको कि सैद्धांतिक तौर पर आज जनतांत्रिक व्यवस्था में जम्हूरियत कोरी पार्टी की निष्ठा पार्टी की आस्था सम्पूर्ण है उसमें किसी तरह के कोई संदेह की गुंजायश नहीं होनी चाहिये । कोई भी ऐसा काम जो जनतंत्र में बाधक हो, कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो जम्हूरियत को चोट पहुंचायेगी हम लोग उसके कतई हामी नहीं हो सकते हैं लेकिन पंजाब के संबंध में फिर इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं और आज इस संकल्प का समर्थन कर रहे हैं तो उसके कारण हैं कि पंजाब में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का वातावरण कतई तौर पर मौजूद नहीं है । यह बात केवल मैं नहीं कह रही केवल मेरा दल नहीं कह रहा है बल्कि इस सदन में बैठे हुए तमाम दलों के तमाम साथी इस बात को स्वीकार करते हैं । यहां तक कि नेशनल फ्रंट के वह लोग भी जो चुनाव कराना चाहते हैं वह भी इस बात से इंकार नहीं करते कि वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का वातावरण नहीं है और मैं दलों की भी बात नहीं कर रही, मैं उन व्यक्तियों की भी बात कर रही हूं जो अपने तौर पर मन से पंजाब में चुनाव कराने के हिमायती हैं, वह भी इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं कि वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का वातावरण नहीं है । कल हंसपाल जी बोल रहे थे । उनकी बात को मैंने बहुत ध्यान से सुना । उन्होंने यह बिलकुल नहीं कहा कि पंजाब में ऐसा वातावरण है बल्कि यह जरूर कहा कि अगर पंजाब में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का वातावरण नहीं है तो क्या पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र या निष्पक्ष चुनाव होते हैं । उन्होंने कई उदाहरण दिये कि क्या दरबां में चुनाव निष्पक्ष हुये ? क्या बिहार में चुनाव निष्पक्ष होते हैं ? यह बात कही । उन्होंने भी यह नहीं कहा कि पंजाब में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का वातावरण है । लेकिन मैं बहुत अदब से आपके माध्यम से श्री हंसपाल जी को कहना चाहती हूं सौभाग्य है कि मेरी बात सुनकर के वह सदन में आ गये हैं कि पंजाब से बाकी जगहों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के वातावरण में भिन्नता है । कल कपिल वर्मा जी ने जो कहा था, मैं उसको दोहराना चाहती हूं कि पंजाब में आज एक ऐसा वातावरण है जहां चुनाव केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष ही नहीं होंगे, वहां अगर कल चुनाव करा दिये तो हमारी और आप जैसी पार्टियां कतई अप्रासंगिक हो जायेंगी और इरलिवेंट हो जायेंगी । मैं इस पर बहस नहीं करना चाहती हूं कि किसका वहां कितना ज्यादा आधार है । आप जनाधार हमारा मानें, नहीं मानें उसके ऊपर मैं कतई बहस नहीं करना चाहती क्योंकि वह विषयान्तर है । सवाल यह है कि आपका भले ही हमसे ज्यादा जनाधार हो, भले ही हमारा आपसे कम जनाधार हो लेकिन इस चुनाव के बाद न आप प्रासंगिक रहेंगे, न हम प्रासंगिक रहेंगे न वह शक्तियां प्रासंगिक रहेंगी जो आज जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती हैं बल्कि ऐसे लोग चुनकर आ जायेंगे जो बंदूक की नोंक के ऊपर चुनकर आयेंगे, जनता की इच्छा की अनदेखी करते हुये । जनता की इच्छा का सही प्रतिनिधित्व चुनाव के माध्यम से नहीं हो सकेगा और जिस बात को सभी कह रहे थे कि अगर वह लोग आ करके कल असेंबली में पीपुल रिप्रजेंटेटिव के नाम पर, चुने हुये जन-प्रतिनिधियों के नाम पर खालिस्तान का मता पास करते हैं तो उसको एक वैधानिक मान्यता मिल जाएगी जो लोग इस तर्क का विरोध करते हैं वह कहते हैं कि अच्छा ऐसा हो भी गया तो क्या होगा ? केन्द्र सरकार के पास हमेशा यह अधिकार है कि वह किसी भी अलगाववादी सरकार को डिसमिस कर दे । अगर वह ऐसा करते हैं तो आप उनको डिसमिस कर दीजिये

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

मैं इस बात से और इस अमेन्डमेंट से भी सहमत हूं लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहती हूं कि क्या उस समय यह मसला अंतर्राष्ट्रीय रुख अख्तियार नहीं कर लेगा ? आज तक यह मामला इंटरनल है हमारा अपना है अभी तक सिख-हिंदू का विवाद यह नहीं बन सका है । पूरे देश में भी यह मसला हमारा है । लेकिन अगर कल को चुने हुये प्रतिनिधि इस तरह का मता पास करते हैं तो आपके द्वारा उस सरकार को डिसमिस किये जाने के बाद आप किस-किसको यह कहते फिरेंगे कि यह चुने हुये प्रतिनिधि नहीं हैं यह बंदूक की नोक पर आये है । क्या इस समस्या पर आप अंतर्राष्ट्रीय रुख अख्तियार करवाना चाहते हैं । यह सबसे बड़ी मजबूरी है हंसपाल जी हमारे उन मित्रों को मैं बताना चाहती हूं जो पंजाब में चुनाव के हिमायती हैं कि हमारा दल भी यह चाहता है कि वहां जल्दी से जल्दी हालात सामान्य हों, चुनाव हों, जनतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुये लोग आयें । मैं पंजाब के बराबर के पड़ौसी प्रांत की रहने वाली हूं और मुझे मालूम है कि जो कुछ वहां हो रहा है जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन आ गयी है, जिस तरह से आज प्रशासनिक भ्रष्टाचार वहां व्याप्त है उसका केवल एकमात्र हल यह है कि वहां चुनी हुई सरकार आये, पापुलर गवर्नमेंट आये । लेकिन एक विवशता के अंदर, एक मजबूरी के अंदर हम लोगों को यह निर्णय करना पड़ रहा है । मैं केवल उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बात कहना चाहूंगी, गृह राज्य मंत्री महोदय यहां बैठे हुये हैं, मैं उन तमाम लोगों की भावनाओं के साथ सिरकत करती हूं जो यह समझते हैं कि यह मियाद आखिरी मियाद होनी चाहिये । इसके आगे ऐसे हालात न रहें कि वहां पर चुनाव न हो सकें । लेकिन वह हालात सामान्य कैसे होंगे ? मेरे और आपके भाषणों से सामान्य नहीं होंगे, सरकार के भाषण से सामान्य नहीं होंगे गृह मंत्री के यहां जोरदार भावनात्मक वक्तव्य से सामान्य नहीं होंगे । उन्हें सामान्य करने के लिये कोई कारगर कदम उठाना पड़ेगा और कारगर कदम उठाने से पहले समस्या की जड़ ढूंढनी होगी । समस्या के लक्षण जरूर सामने है लेकिन समस्या की जड़ अभी तक आपके हाथ में नहीं आई है । मेरे पास सरकारी आंकड़े हैं । मैं आपको बताना चाहती हूं कि नेशनल पुलिस ऐकेडमी, हैदराबाद के लोगों ने एक सर्वेक्षण किया पंजाब के ऊपर और उनके आंकड़े यह बताते हैं, शायद मैं सदन को यह जानकारी देकर चौंका दू कि उनके सर्वेक्षण का यह नतीजा निकला है कि पंजाब के अंदर 90 फीसदी हाई-कोर टैररिस्ट्स केवल 110 गांवों से संबंधित हैं 55 फीसदी आतंकवादी केवल 30 पुलिस, स्टेशनों की परिधि के अंदर रहते हैं । अगर मैं गलत कह रही हूं तो गृह मंत्री इसका खंडन करें । ये वे आंकड़े हैं जो सरकार के पास हैं उन्हें मालूम है कि 55 फीसदी हाई-कोर टैररिस्ट्स 30 पुलिस स्टेशनों की परिधि में रहते हैं ।

महोदय, इसके बाद भी आप आतंकवाद के ऊपर काबू नहीं पा सकते ? कल हंसपाल जी सीमा पट्टी की बात कर रहे थे । मैं बताना चाहती हूं कि 350 किलोमीटर का बार्डर का एरिया पंजाब में आज भी अनफैंस्ड है । कितना समय हो गया उस रेजोल्यूशन को, जिसका मेरे दल ने विपक्ष में रहते हुए भी समर्थन किया था कि पंजाब के सारे बार्डर एरियाज पर फैंसिंग होनी चाहिए । कितने दिनों तक वह रेजोल्यूशन फाइलों की गर्त में पड़ा रहा, ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और उस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद भी आज 350 किलोमीटर का बार्डर एरिया बिना फैंसिंग के पड़ा हुआ है ।

तो गृह मंत्री जी, मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि जहां आप एक तरफ पोलिटिकल प्रोसेस शुरू करें, डॉयलाग होना चाहिए, मैं डॉयलाग के विरोध में नहीं

और मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं जो शायद यह समझते है कि यह मसला बेकाबू हो गया है और इसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता । मुझे स्वयं जानकारी है मिजोरम की, जहां 20 साल तक बगावत चला, जहां 20 साल के बाद डॉयलाग शुरू हुआ और आज वहां पूर्ण रूप से शांति है । वहां 20 साल की इमरजेंसी के बाद आज आईजाल में लोग चैन और शांति की सांस ले रहे हैं । इसलिए मैं यह नहीं मानतो कि पंजाब के अंदर हालात बेकाबू हो गए है।

महादय, जो राजनोतिक प्रक्रिया है वह तो चालू रहनी चाहिए लेकिन उसके साथ-साथ अगर यहां बैठकर आप अपनी प्राथमिकताएं दूसरी तरह की तय करेंगे तो यह मसला हल नहीं होगा । इसमें गृह मंत्रालय को कुछ करने की जरूरत है। आप सीमा सुरक्षा पट्टी बनवाइए । यह आतकवादियों का क्षेत्र जो इतना सीमित है, यह तो बहुत अच्छी बात है । महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पंजाब का हिंदू और सिख आपके साथ है । आज तक वहां पर सांप्रदायिक तनाव पैदा नहीं हुआ । मैं आपको बताना चाहती हूं कि वहां पर अभी तक 6400 लोग मरे है, यह सरकार के अपने आंकड़े हैं । मेरे एक *अतारांकित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी गई थी और बताया गया था कि मरने वालों में 62 प्रतिशत सिख हैं ।*

महोदय, वहां के लोगों का समर्थन आपके साथ है, अभी राजनीतिक दलों का समर्थन आपको हासिल है । मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप तमाम दलों का सहयोग ले करके यह जो 6 महीने की अवधि आपको मिली है, इसको ब्रीथिंग टाइम मान करके यह समझिए कि आपको यह आखिरी मौका दिया गया है । इसके आगे समय देना संभव नहीं हैं । इसके आगे अगर आप समय लेना चाहेंगे तो जैसे अभी हम आपके इस संकल्प का समर्थन कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन की मियाद 6 महीने के लिए बढ़ा दो, हम तब इसका समर्थन नहीं कर पाएंगे और हम लोगों को भी नाराजगी होगा । इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन 6 महीनों को ब्रीथिंग टाइम मानकर आप यह सोचिए कि आतकवाद का समाप्त करने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया का किस प्रकार तेज किया जाए और उसके साथ-साथ गृह मंत्रालय की तरफ से जो सख्ती चाहिए उसका पूरा उपयोग करके पंजाब में हालात सामान्य बनाए जाएं और वहां 6 महीने के अंदर चुनाव करवाए जाए ।

महादय, मैं सुब्रह्मण्यम स्वामी जी के संशोधन से इसलिए सहमत नहीं हूं कि वह इसे 3 महीने की अवधि तक सीमित कर देता है । उनका अमेंडमेंट यह है कि वहां पर 1 जनवरी तक चुनाव करवा दिया जाए । इसका मतलब यह है कि एक तरफ जो बात हम कह रहे है, दूसरी तरफ उसके विरुद्ध काम कर रहे है । 6 महीने दिए है तो इन 6 महीनों का समय हम सरकार को खुलकर देते है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये 6 मास ऐसे बनने चाहिए जिनमें जनतांत्रिक प्रक्रिया शुरु हो जाए और वहां पर चुनाव का वातावरण तैयार किया जाए, इसकी तरफ सरकार कदम उठाए । यह कहते हुए मैं इसका समर्थन करती हूं ।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Under the Constitution, the extension of President's Rule can only be for six months at a time. So we cannot have a resolution for three months, but we can make a resolution of the House to commit the Government for holding the elections by such and such date. Therefore it is not a question of three months.

***गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : महोदय, जैसा कि मैंने सदन को अवगत कराया था पहले कि हम पंजाब में निश्चित रूप से जनतांत्रिक पद्धति लागू करना चाहते हैं, चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन ये चुनाव सरकार की घोषणा के तहत न हों बल्कि तमाम देश के राजनीतिक दलों, जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों को विश्वास में

[श्री सुबोध कान्त सहाय]

लेकर हों । इसी के तहत हमने पंजाब में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक इन चारों का समावेश करके एक ऐक्शन प्लान बनाया है जो डिस्ट्रिक्ट लवल तक काम कर रहा है । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्यों को और सदस्याओं को कि हमने ऐसा क्लेंडर बनाया है कि आज के दिन मैं यहां बैठकर कह सकता हूं कि किस ब्लाक में किस प्रखंड में वहां विकास सम्मेलन हो रहे हैं और हर एक दिन के लिए तीस दिन का कलेंडर बनाकर पंजाब की सरकार से मंगवाया है और लगातार विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री जिनसे संबंधित योजनाएं वहां चल रही है। वे पंजाब का दौरा कर रहे हैं । कोई ऐसा मंत्री नहीं होगा जो पंजाब का दौरा नहीं कर चुका हो और खासकर जो आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं, उन इलाकों में घेराबंदी करके उनको आइडेंटिफाइ करके, उनके ऊपर ऐक्शन लिया जाए, ऐसा ऐक्शन प्लान में निहित है । मैं सदन के तमाम सदस्यों को जिन्होंने कल और आज अपनी बात कही है, बताना चाहता हूं कि एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत वहां पर आर्थिक विकास, प्रशासनिक सुधार और आतंकवाद से मुस्तैदी के साथ, सख्ती के साथ निपटने का काम भी उसमें शामिल है ।

श्री जगेश देसाई (महाराष्ट्र) : यह एक्शन प्लान आपने कब बनाया ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : यह हम तीन महीने से कर रहे हैं....

श्री जगेश देसाई : तीन महीने करने के बाद कोई सुधार नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पर इलेक्शन हो सकेंगे ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर जिस तरीके से रिस्पांस मिला है, पुलिस के साथ ऐड-मिनिस्ट्रेशन और पीपल्स पार्टिसिपेशन को इनवाल्व करके जो हमने ऐंटी टैरोरिस्ट ऐक्ट बनाया है उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है । लेकिन यह तीन महीने का समय हमारे लिए कम था । सही जो समय हमको मिला था उसमें सरकार के सामने सारी प्राथमिकताएं एक साथ चली आई....

श्री सुरेश कलमाडी (महाराष्ट्र) : 6 महीने में कुछ हल हो जाएगा ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : हो जाएगा । इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी गतिविधियों के बारे में जो माननीय सदस्यों का कहना है, उसके लिए हम हर एक राजनीतिक चैनल पर, डिप्लोमैटिक चैनल पर प्रैशर दे रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान हमारे अंदरुनी मामलों में दखलअंदाजी बंद नहीं करेगा हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ सुधर नहीं सकते हैं । हर एक स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं । साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ जो बार्डर हमारा बचा हुआ था उस पर हमने सख्ती की तो जो राजस्थान का बार्डर है वहां से पाकिस्तान के लोग घुसपैठ कर रहे हैं और राजस्थान का बार्डर ऐसा है कि दोनों के खेत एक साथ मिलते है । मुश्किल से 20-40 फीट की दूरी पर बार्डर लाइन है । अगर 40 फीट के अंदर कोई घुस जाता है तो उसको आइडेंटीफाइ करना मुश्किल हो जाता है । इसलिए बार्डर के इलाकों में हमने आइडेंटिटी कार्ड का प्रावधान किया है । राजस्थान और पंजाब के बार्डर पर हमने यह इंतजाम किया है । इसके साथ 236 किलोमीटर की एडीशनल फेन्सिग की जा रही है । 270 किलोमीटर पर फ्लड लाइट लगाई जा रही है । मैं चाहता हूं माननीय सदस्य कभी जाकर बार्डर के इलाके में देखें ....

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल (पंजाब) : मंत्री महोदय, मैंने कल कहा था कि कई महीनों से फेन्सिग का काम बंद है । यह बंद क्यों रहा ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : आज के दिन मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने अपना शैड्यूल रखा था बार फुटिंग पर इसको 2 अक्तूबर से शुरू करने का...

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : 3–4 महीने बंद रहा तो यह क्यों बंद रहा ?

श्री सुबोध कान्त सहाय: इसका कारण यह था कि फाइनेन्शियल सैक्शन का प्रोविजन नहीं हो पाया था । जो कंटीले तार फेन्सिंग के लिए लगते हैं वह उपलब्ध नहीं थ । आज मारा मैटीरियल बार्डर के ऊपर है । सी०पी०डब्ल्यू०डी० की जो स्पेशल यूनिट हो सकती है वह वहां पर है । उस स्पेशल यूनिट का अलग से एडीशनल डारेक्टर जनरल क्रिएट किया गया है जो इस बार्डर की फेन्सिंग का काम देख रहा है ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : यह कब तक हो जायेगा ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : उन्होंने अपना 9 महीने का शैडयूल दिया है लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं । हम लोगों ने उसको घटा कर 4–5 महीने किया है । लेकिन उनका 9 महीने का शैड्यूल है । जो फैक्ट है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । इसी के साथ मैं आदरणीय स्वामी जी से कहना चाहता हूं कि स्वामी जी आप काफी ज्ञानी हैं । आपको पता है कि संविधान के तहत संसद इलेक्शन कमीशन को कोई डायरेक्टिव नहीं दे सकता । जो उन्होंने जनवरी की बात कही है मैं पूरी गम्भीरता के साथ, निष्ठा के साथ कहना चाहता हूं कि चुनाव की प्रक्रिया शुरु करने के लिए, वहां पर पोलिटिकल प्रेसेस शुरु करने के लिए जो पहल की जा रही है वह इसी तरफ है कि इलेक्शन कराकर जनतांत्रिक सरकार बने । विधान सभा गठित करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन दे सकते हैं अब इस तरह का कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आयेंगे कि इस अवधि को और बढ़ाना चाहते हैं ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : महोदय, आयरलैंड में टेरेरिज्म चल रहा है और वह सौ वर्षों से ज्यादा से चल रहा है । वहां की संसद ने कहा है कि सरकार जब समझे कि वहां पर राजनैतिक प्रक्रिया शुरु होने की स्थिति में है, चुनाव कराने की स्थिति में है तो सरकार आये और सरकार आकर बोले । मैं तो उससे एक कदम आगे बढ़ रहा हूं, 6 महीने की बात ला रहा हूं । यह हमारी मंशा है । चार महीने भी कर सकते थे यदि उस समय में हम कर सकते । इसीलिए हम 6 महीने की अवधि लाये है । अभी हमने 3 महीने में एक्शन प्लान शुरु किया है लेकिन हमारी कामना पूरी नहीं हुई, हमारी मंशा पूरी नहीं हुई । हम जो इकोनोमिक पैकेज देना चाहते थे उसको भी पूरी तरह से इम्पलीमेंट नहीं कर पाये इसीलिए 6 महीने का समय मांगा है ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : राष्ट्रपति शासन लागू करने का बिल क्या इस सदन में माननीय गृह मंत्री जी फिर लेकर नहीं आयेंगे ।

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं इंडेड परमेंट कहना चाहता हूं कि हमारे रत्नाकर पाण्डेय जी की पार्टी और उनका विश्वास रहेगा तो हम 6 महीने में मिलकर इसका समाधान कर लेंगे और चुनाव कराकर वहां पर सरकार बनाने का काम करेंगे इसी के साथ मैं माननीय सुब्रह्मण्यम जी से कहता हूं कि वह अपना अमेंडमेंट वापस ले लें और संसद के साथ विश्वास व्यक्त करें ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रधान मंत्री ने कहा था संसद के सामने हम आयेंगे और तिथि को तय करके फिर यह प्रस्ताव सामने लायेंगे । आपने कोई तिथि तय नहीं की तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन करा देंगे ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : संसद के बाहर कहा था ।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : संसद के बाहर कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन प्रधान मंत्री की एक मर्यादा होती है और उन्होंने उसको नहीं माना ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : मंत्री महोदय ने छः महीने के या सात महीने के एचीवमेंट्स बताये । लेकिन एक पाइन्ट बताना वे भूल गये कि इन छः महीनों में आपने कितने गवर्नर बदले और अब आप नेक्स्ट गवर्नर की तजवीज कर रहे हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश) : आप भी यही कर रहे थे ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि श्री वीरेन्द्र वर्मा को कब बदल रहे है... (व्यवधान) ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): I shall now put the amendment moved by Shri Subramanian Swamy to vote.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: He is withdrawing it.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I am not withdrawing it; not on the suggestion of the BJP will I withdraw it. But, Sir, I would like you to read out the amendment so that the Members can know what the amendment is, what it is all about.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: There is no need to read it out. It has been circulated.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): I shall now put the amendment of Shri Subramanian Swamy to Vote:

The question is:

That at the end of the said Resolution, the following be added, namely:—

"That this House further resolves that the general elections to the Punjab Assembly be held not later than the 1st January 1991."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY): I shall now put the Resolution to vote.

The question is:

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation issued by the President on the 11th May, 1987, under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Punjab, for a further period of six months with effect from the 11th November, 1990."

The motion was adopted.

SHRI JAGESH DESAI: Mr. Vice-Chairman, Sir, today is the last day of the Session. The Minister of Information and Broadcasting is here now. He had assured the House earlier that he would make an inquiry into the blacking out of the remarks of the Chairman on the TV on the absence of the Prime Minister during Question Hour He had assured the House that he would make an inquiry and report to the House. One month has now elapsed and nothing has been done. It is a question of the prestige of the House and of the Chairman. His remarks regarding the absence of the Prime Minister during Question Hour in the Rajya Sabha were blacked out. The Minister had promised that he would find out as to how those remarks were blacked out and would report to the House. Till today nothing is known about that inquiry. I would like to know what the fate of that inquiry is.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. UPENDRA): It is in progress and I will write to the honourable Members about the outcome of that inquiry.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY. Today is the last day. I would like to know

from the Government when the Kuldeep Singh Commission Report is going to be placed on the Table of the House.

श्री हरबेन्द्र सिंह हंसपाल : वाइस चेयरमैन साहिब, कल राज्य सभा की जो टी०वी० की रिपोर्टिंग हुई है उसमें कांग्रेस के जो मेम्बर बोले थे उनका नाम नहीं लिया गया है । कई लोगों के नाम लिये गये, लेकिन हमारा नाम नहीं लिया गया और जो कुछ कहा गया वह मेन्स को बदल कर कहा गया । हमारे कई मेम्बर बोले, लेकिन मेरा, श्री मदन भाटिया और डा० रत्नाकर पाण्डेय का नाम नहीं लिया गया । इन तीन अदमियों के नाम नहीं लिये गये और मेन्स को बदल कर रिपोर्टिंग की गई । क्या आप इसको देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है ?

श्री पी० उपेन्द्र : मैं इंक्वायरी करूंगा ।

SHRI KAPIL VERMA (Uttar Pradesh): The reporting of the proceedings of the Rajya Sabha in the TV news bulletin particularly Sansad Samachar is not fair and accurate. The arguments that are given in favour of the Government only are highlighted. The arguments given by treasury benches are put in prominently. Arguments of the opposition are not highlighted at all. And all that they do is just to give names of opposition members and not what they say. Some lines do not give names even as mentioned just now. It is not fair that Government benches statements are given while others are not given. Topsyturvy and slanted reporting is taking place. Will the Minister kindly look into it? (*Interruptions*)

SHRI P. UPENDRA: 'Parliament News' and 'Sansad Samachar' are written by some Press correspondents who are assigned this task. They are not done by the Doordarshan staff. If there is any outside reporting, I will inquire into it. (*Interruptions*)

SHRI SURESH KALMADI: There is censoring... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY): Please sit down. You have raised the issue.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : इस सदन के सदस्यों के साथ काफी भेदभाव होते है । रिपोर्टर आपके ऊपर नहीं है । ऐसे रिपोर्टरों को रखकर अन्याय न करें । सही सही चीजें दें, ऐसा आश्वासन दिया जाय ।

SHRI KAPIL VERMA: You select people who are objective people. Correct reporting must take place, fair and impartial (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Shall we take up Special Mentions or... (*Interruptions*)

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar): Communal situation.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): What has happened to the Resolution on the Babri Masjid?... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY): Already many Members have spoken on the issue.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: What hapened to the Mandal Commission (*Interruptions*)

RE: COMMUNAL TENSION IN DIFFERENT PARTS OF THE COUNTRY—Contd.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभापति महोदय, करनैलगंज में जो घटनायें घट रही हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसको सोचने की जरूरत है । आज जब मुल्क को एक होकर देश की असुविधाओं, देश की विपदाओं का सामना करना चाहिये, उस वक्त पर मुल्क बंट रहा है साम्प्रदायिकता के नाम पर, जातिवाद के नाम पर । उपसभापति महोदय, मैं सिर्फ आपको एक घटना बताता हूं कि